छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकरनगर, रायपुर

अपील क्रमांक 75/2006

श्रीमती सुरिन्दर सहगल, उपाध्यक्ष, श्री अन्नपूर्णा महिला मंडल, पंजाबी कालोनी, कटोरातालाब, रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी राजस्व विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)	. . . . .	**प्रतिअपीलार्थी**

:: आदेश ::

(30 मई 2006)

श्रीमती सुरिन्दर सहगल, उपाध्यक्ष, श्री अन्नपूर्णा महिला मंडल के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, विशेष सचिव, राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 13–03–2006 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील समयावधि के अंदर है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि श्री अन्नपूर्णा महिला मंडल के द्वारा शासन से शासकीय भूमि आवंटन की मांग की गई। उक्त प्रकरण में आवेदिका ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यह जानकारी चाही कि प्रकरण में किसी वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से कब परीक्षण कराया गया। परीक्षण अधिकारी के अभिमत की प्रति दी जावे और यदि परीक्षण नहीं कराया गया तो उसका कारण बतलाया जावे। सूचना अधिकारी के द्वारा कलेक्टर, रायपुर से प्रतिवेदन मांगा गया। जन सूचना अधिकारी, राजस्व विभाग के द्वारा आवेदक को तहसीलदार, रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 23–4–2006 की प्रति प्रदान की, जिससे कि असंतुष्ट होकर आवेदिका ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किया। अपीलीय अधिकारी ने अपील अमान्य की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी राजस्व विभाग एवं प्रथम अपीलीय

अधिकारी को अपील की प्रति भेजकर जांच की मांग की। जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि तहसीलदार ने अपना प्रतिवेदन कलेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आवेदक का यह कथन सही नहीं है कि प्रकरण का परीक्षण नहीं कराया गया। कलेक्टर, रायपुर के द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया गया, चूंकि आवेदक के द्वारा चाही गई जानकारी भूमि, निजी भूमि स्वामी हक में दर्ज है। अतः निजी स्वामित्व की जमीन सोसायटी को प्रदान नहीं की जा सकती।

अपील सुनवाई के समय आवेदिका अथवा उनके प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, राजस्व विभाग, उपस्थित थे, उन्हें सुना गया। प्रकरण से स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा चाही गई जानकारी कलेक्टोरेट से एवं राज्य शासन द्वारा भी प्रदान की गई। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पटवारी अभिलेख में भूमि, भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है। अतः आवंटित नहीं की जा सकती। आवेदिका को तहसीलदार के प्रतिवेदन की प्रति भी दी गई। जहां तक भूमि के आवंटन का संबंध में उसके संबंध में विचार आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर है। जहां तक जानकारी का संबंध है, आवेदिका को तहसीलदार के प्रतिवेदन की प्रति प्रदान कर दी गई है। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असमर्थ रहे कि उनको किस अभिलेख की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त